भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा.सं.रा.भा. 10(1)/2023-हिन्दी

दिनांक 29 अगस्त, 2023

परिपत्र

विषय:- सितम्बर, 2023 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में

संविधान सभा द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा 14 सितम्बर 1949 को दिया गया था। अत: प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा संबंधी निर्धारित नियमों को लागू कराने का उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसका अनुपालन हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

कृपया राजभाषा विभाग के दिनांक 21.4.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा. (क-1) का अवलोकन करें जो सितम्बर माह में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन से संबंधित है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परिषद के सभी संस्थानों आदि में हिन्दी दिवस 2023 के शुभ अवसर पर सितम्बर, 2023 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। सभी संस्थान उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हिन्दी पखवाड़े/माह का आयोजन अनिवार्य रूप से करें।

इस अवसर पर सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप द्वारा एक अपील और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय का एक प्रेरणाप्रद संदेश पोस्टर के रूप में भी अलग से जारी किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि हिन्दी दिवस के कार्यक्रमों से परिषद एवं संस्थानों के कार्मिकों में सरल हिन्दी का प्रयोग करने के प्रति उत्साह सृजन में सफलता मिलेगी।

29.08.2023

(राम दयाल शर्मा)
उप निदेशक (राजभाषा)

वितरण:-

1. भाकृअप के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरा/केन्द्रों के निदेशक
2. गार्ड फाइल

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR
D.O. No....850...../AM

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

मुझे हिन्दी दिवस 2023 के अवसर पर आप सभी को बधाई देते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इसी दिन 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को हमारे संविधान में संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया था और प्रतिवर्ष 14 सितम्बर "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

किसी भी स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिह्न होते हैं, जिनका सम्मान करना उस देश के नागरिकों का पुनीत कर्तव्य होता है। इनमें उस देश का संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, भाषा आदि आते हैं। हमारे देश के संबंध में भी यही बात लागू होती है। अतः हम सभी का यह न केवल कर्तव्य है कि हम अपने संविधान और उसमें की गई व्यवस्थाओं का सम्मान करें, अपितु हमारा दायित्व भी है कि हम उनका पालन करें। हमारी राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में भी हम सभी से यही संवैधानिक अपेक्षा है कि इसके प्रयोग और प्रचार-प्रसार के लिए हम कृत संकल्प हों। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने मंत्रालय व अधीनस्थ कार्यालयों के काम-काज में राजभाषा का अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए राष्ट्र के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के **स्वप्न "एक भारत, श्रेष्ठ भारत"** को साकार करें।

मैं, हिन्दी दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व उसके सभी संस्थानों में आयोजित होने वाले राजभाषा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द, जय हिन्दी।

26/8/23

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office : Room No. 120, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 Tel.: 23383370, 23782691 Fax : 23384129
Resi. : 3, Krishna Menon Marg, New Delhi-110001, Ph. : 011-23794697 / 98, Fax : 011-23794696

सत्यमेव जयते

डॉ. हिमांशु पाठक
सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भाकृअनुप)

Dr HIMANSHU PATHAK
SECRETARY (DARE) & DIRECTOR GENERAL (ICAR)

भारत सरकार
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION (DARE)
AND
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR)
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI 110 001
Tel.: 23382629; 23386711 Fax: 91-11-23384773
E-mail: dg.icar@nic.in

अपील

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे ऊपर सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियम व नियम लागू होते हैं, उसी प्रकार राजभाषा अधिनियम व उसके नियम भी लागू होते हैं, जिनका अनुपालन करना हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। अपने कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा का प्रयोग करना हमारे शासकीय दायित्वों का ही एक हिस्सा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 के माध्यम से संघ सरकार को सौंपा गया है। तद्नुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का दायित्व है कि राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। हम सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिषद में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा उसके संस्थान व अन्य अधीनस्थ कार्यालय देश के कोने-कोने में स्थित हैं। उनके सभी कार्यालयों में हमें गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा संबंधी विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के हर संभव एवं बहु-विध प्रयास करने होंगे। राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि लाने का महत्वपूर्ण कार्य किसी एक विभाग अथवा अनुभाग तक ही सीमित नहीं है, अपितु परिषद के सभी संस्थानों एवं केंद्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एकजुट प्रयासों से ही हम सही अर्थों में राजभाषा के विशाल लक्ष्यों को प्राप्त कर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं।

अत: हिंदी दिवस-2023 के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आइए हम सभी अपने सक्रिय एवं समर्पित सहयोग से प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना के साथ परिषद और उसके विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को उपलब्धियों की नई ऊँचाईयों तक ले जाएँ।

हि पाठक

(हिमांशु पाठक)

24 अगस्त, 2023
नई दिल्ली